<u>न्यायालय : गोपेश गर्ग, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, गोहद</u> <u>जिला भिण्ड, मध्यप्रदेश</u>

प्रकरण क्रमांक : 279 / 2000

संस्थापन दिनांक 19.06.2000

म.प्र.राज्य द्वारा पुलिस थाना एण्डोरी जिला भिण्ड म.प्र.

अभियोजन

बनाम

1—कमलिसंह पुत्र रामचरनिसंह गुर्जर, निवासी मीरा नगर, मुरार जिला ग्वालियर म.प्र.

2—अपरबलसिंह पुत्र हेमसिंह निवासी त्यागी नगर मुरार ग्वालियर म.प्र.**फरार**

– अभियुक्तगण

निर्णय

(आज दिनांक.....को घोषित

- 1 प्रकरण में अभियुक्त सोबरनसिंह उर्फ सतीश एवं राकेश शर्मा उर्फ विपुल को पूर्व में निर्णय दिनांक 17.10.11 के द्वारा दोषमुक्त घोषित किया जा चुका है तथा अभियुक्त अपरबलसिंह फरार है। अतः यह निर्णय केवल अभियुक्त कमलसिंह के संबंध में किया जा रहा है।
- 2 उपरोक्त अभियुक्त कमलिसंह के विरुद्ध धारा 419, 420 भा. द.स. एवं धारा 3—डी म0प्र0 मान्यता प्राप्त परीक्षा अधिनियम 1937 के अधीन दण्डनीय अपराध का आरोप है कि उसने दिनांक 02.04.1998 को 09:00 बजे शासकीय हाईस्कूल खनेता में सहअभियुक्त सोबरनिसंह पुत्र रामचरनिसंह को रोल नंबर कमांक 10223111 पर अपने स्थान पर माध्यिमक शिक्षा मण्डल म0प्र0 भोपाल द्वारा कराई जा रही हाईस्कूल परीक्षा वर्ष 1998 में सिम्मिलित कर प्रतिरूपण द्वारा छल कारित किया विकल्प में उक्त हाईस्कूल परीक्षा में छल द्वारा फिरयादी पर्यवेक्षक एवं खण्ड शिक्षा अधिकारी को प्रवंचित कर बेईमानी से उत्प्रेरित किया कि वह धारा 30 में परिभाषित मूल्यवान प्रतिभूति के रूप में आरोपी की ओर से सहअभियुक्त सोबरनिसंह को परीक्षा में सिम्मिलित होने का विधिक अधिकार सृजित करे और परीक्षा में सिम्मिलित होने की मूल्यवान प्रतिभूति

उत्तरपुस्तिका रचे एवं सोबरनसिंह को उक्त परीक्षा में सिम्मलित कराकर उक्त मान्यता प्राप्त परीक्षा में अनुचित साधन का उपयोग किया।

- 3 अभियोजन का मामला संक्षेप में इस प्रकार है कि दिनांक 02.04.08 को खण्ड शिक्षा अधिकारी गोहद के द्वारा उपसंचालक शिक्षा विभाग के निर्देशों के पालन में परीक्षा केन्द्र शासकीय हाईस्कूल खनेता का निरीक्षण किया गया। निरीक्षण में यह पाया गया कि कमरा नंबर 5 में छात कमलिसंह पुत्र रामचरनिसंह निवासी मीरा नगर मुरार रोल नंबर 10223111 के स्थान पर दूसरा छात्र परीक्षा दे रहा था जिसका नाम सोबरनिसंह पुत्र रामचरनिसंह निवासी सिरोल था। घटना के संबंध में खण्ड शिक्षा अधिकारी गोहद के द्वारा अनुविभागीय अधिकारी गोहद को लेखीय आवेदन प्रस्तुत किया गया जिस पर से अनुविभागीय अधिकारी गोहद को लेखीय आवेदन प्रस्तुत किया गया जिस पर से अनुविभागीय अधिकारी गोहद के द्वारा पुलिस थाना एण्डोरी को नियमानुसार कार्यवाही किये जाने का निर्देश दिया गया निर्देशों के पालन में पुलिस थाना एण्डोरी द्वारा अप०क० 22/98 पर प्रथम सूचना रिपोर्ट प्र0पी–9 पंजीबद्ध कर मामला विवेचना में लिया गया और संपूर्ण विवेचना उपरांत आरोपी के विरुद्ध प्रथम दृष्टया मामला बनना प्रकट होने से अभियोग पत्र विचारण हेतु न्यायालय के समक्ष पेश किया गया।
- 4 आरोपी ने आरोप पत्र अस्वीकार कर विचारण का दावा किया है और आरोपी की प्रतिरक्षा है कि उसे प्रकरण में झूठा फंसाया गया है बचाव में किसी साक्षी को परीक्षित नहीं कराया गया है।
- 5 प्रकरण के निराकरण हेतु निम्न विचारणीय प्रश्न हैं कि :--
 - 1. क्या आरोपी ने दिनांक 02.04.1998 को 09:00 बजे शासकीय हाईस्कूल खनेता में सहअभियुक्त सोबरनिसंह पुत्र रामचरनिसंह को रोल नंबर कमांक 10223111 पर अपने स्थान पर माध्यिमक शिक्षा मण्डल म0प्र0 भोपाल द्वारा कराई जा रही हाईस्कूल परीक्षा वर्ष 1998 में सम्मिलित कर प्रतिरूपण द्वारा छल कारित किया ?
 - 2. क्या आरोपी ने दिनांक 02.04.1998 को 09:00 बजे शासकीय हाईस्कूल खनेता में उक्त हाईस्कूल परीक्षा में छल द्वारा फरियादी पर्यवेक्षक एवं खण्ड शिक्षा अधिकारी को प्रवंचित कर बेईमानी से उत्प्रेरित किया कि वह धारा 30 में परिभाषित मूल्यवान प्रतिभूति के रूप में आरोपी की ओर से सहअभियुक्त सोबरनसिंह को परीक्षा में सम्मिलित होने का विधिक अधिकार सृजित करे और परीक्षा में सम्मिलित होने की मूल्यवान प्रतिभूति उत्तरपुस्तिका रचे ?
 - 3. क्या आरोपी ने उक्त दिनांक समय व स्थान पर सोबरनसिंह को उक्त परीक्षा में सम्मिलित कराकर उक्त मान्यता प्राप्त परीक्षा में अनुचित साधन का उपयोग किया ?

/ / विचारणीय प्रश्न क्रमांक ०१ लगायत ०३ पर सकारण निष्कर्ष / /

6 विशाल अ०सा०५ ने कथन किया है कि दिनांक 02.04.98 को वह खण्ड शिक्षा अधिकारी गोहद में पदस्थ था उक्त दिनांक को उसने उपसंचालक के आदेशानुसार खनेता में निरीक्षण किया था निरीक्षण में कुछ नहीं पाया था। पर्यवेक्षक की रिपोर्ट के आधार पर उसने अनुविभागीय अधिकारी को आवेदन प्र0पी—7 दिया था जिसके ए से ए भाग पर उसके हस्ताक्षर हैं। अतः इस साक्षी ने स्वयं के निरीक्षण में कोई आपराधिक तथ्य नहीं पाये हैं और मात्र आवेदन प्र0पी—7 दिया जाना बताया है। परन्तु न्यायालयीन साक्ष्य में उक्त आवेदन प्र0पी—7 की अर्न्तवस्तु साबित नहीं की है क्योंकि उक्त आवेदन के अनुसार न्यायालयीन साक्ष्य में उसने कुछ नहीं पाया था।

- 7 साक्षी मुन्ना अ०सा०१ ने कथन किया है कि पुलिस ने आरोपी सोबरन से कोई दस्तावेज जप्त नहीं किए थे मात्र जप्ती पत्रक प्र0पी—1 पर अपने हस्ताक्षर स्वीकार किए हैं और इस सुझाव से इंकार किया है कि दिनांक 02.04.98 को उसके सामने एक प्रवेश पत्र जप्त किया था। अतः आरोपी सोबरन से आरोपी कमलिसंह के दस्तावेज जप्त होने के तथ्य से इस साक्षी ने इंकार किया है।
- 8 साक्षी जरदानसिंह अ०सा०२ ने कथन किया है कि दिनांक 02.04.98 को उसकी डयूटी खनेता हाईस्कूल परीक्षा में थी तब डी.ई.ओ. चैिकंग के लिए आये थे तब चैिकंग के दौरान क्या हुआ था उसे नहीं मालूम। कौन किस नाम से परीक्षा दे रहा था उसे यह भी नहीं मालूम। उत्तर पुस्तिका जप्त होने के संबंध जप्ती पत्रक प्र0पी—3 पर इस साक्षी ने अपने हस्ताक्षर होना बताये हैं। लेकिन अभियोजन के इस सुझाव से इंकार किया है कि उक्त हस्ताक्षर उसने पढ़कर नहीं किए थे मात्र केन्द्राध्यक्ष के कहने पर किए थे। परीक्षा केन्द्र में मिली लिस्ट में रोल नंबर 10223111 लिखा हो तो उसे जानकारी नहीं है। इस सुझाव से भी इंकार किया है कि चैिकंग के समय वह मौजूद था इस तथ्य की जानकारी होने से भी इंकार किया है कि कमलिसेंह के स्थान पर सुंदरसिंह परीक्षा दे रहा था। अतः यह साक्षी जोिक परीक्षा के समय अध्यापक होकर मौजूद था, ने ही अभियोजन मामले का समर्थन नहीं किया है और यह तथ्य प्रमाणित नहीं किया है कि कमलिसेंह के स्थान पर अन्य व्यक्ति परीक्षा दे रहा था जिससे जप्ती पत्रक प्र0पी—3 के वर्णानुसार जप्ती की गयी है।
- 9 ओमप्रकाश अ०सा०३ जोकि जप्ती पत्रक प्र०पी—३ का अभिकथित साक्षी है, ने भी न्यायालयीन साक्ष्य में अभियोजन मामले का समर्थन नहीं किया है जबिक इस साक्षी ने कथन किया है कि दिनांक 02.04.98 को उसकी ड्यूटी परीक्षा केन्द्र खनेता हाईस्कूल में थी तब डी.ई.ओ. चैकिंग के लिए आये थे परन्तु किस छात्र के स्थान पर कौन सा छात्र परीक्षा दे रहा था उसे जानकारी नहीं है। जप्ती पत्रक प्र०पी—3 के अनुसार उत्तर पुस्तिका फार्म जप्त होने से इंकार किया है मात्र जप्ती पत्रक प्र०पी—3 पर अपने हस्ताक्षर बताये हैं। अतः यह साक्षी जो कि अध्यापक है और अभियोजन मामले के अनुसार परीक्षा केन्द्र में उपस्थित था, ने न्यायालयीन साक्ष्य में अभियोजन मामले का लेशमात्र समर्थन नहीं किया है।
- गर्तीश अ०सा०४ ने जप्ती पत्रक प्र०पी—६ के अनुसार आरोपी सतीश की पुस्तिका हरीशंकर से जप्ती पत्रक प्र०पी—६ के अनुसार जप्त होने के तथ्य की जानकारी होने से इंकार किया है। जनवेद अ०सा०१० ने भी हरीशंकर से सतीश की पुस्तिका जप्ती पत्रक प्र०पी—६ के अनुसार जप्त होने से इंकार किया है और मात्र जप्ती पत्रक प्र०पी—६ पर अपने हस्ताक्षर स्वीकार किए हैं। सतीश के संबंध में पूर्व में गुणदोषों पर निर्णय भी हो चुका है। डी.एल.धनेले अ०सा०६ ने कथन किया है दिनांक 26.12.99 को हरीशंकर शर्मा से एक कॉपी जप्ती पत्रक प्र०पी—६ के अनुसार जप्त की थी जिसके ए से ए भाग पर उसके हस्ताक्षर हैं। आरोपी सतीश ने गिरफतारी में गलत नाम लिखाया था जिसके संबंध में रामेश्वर के कथन लिए थे। रामेश्वर अ०सा०७ ने कथन किया है कि दिनांक 02.06.99 को जहां उसके बच्चे पढ़ते थे उसके पडौस में हरीशंकर रहता था जिसे सतीश कहते थे।
- 11 साक्षी एम०के० पठान अ०सा०८ ने कथन किया है कि दिनांक 02.04.98 को वह थाना एण्डोरी में थाना प्रभारी के पदपर पदस्थ तब खण्ड शिक्षा अधिकारी के द्वारा अनुविभागीय अधिकारी गोहद से अग्रेषित आवेदन प्र0पी—7 दिया

गया था जिसके आधार पर प्रथम सूचना रिपोर्ट प्र0पी-9 लेख की थी जिसके ए से ए भाग पर उसके हस्ताक्षर हैं। उसने सोबरनसिंह से दिनांक 02.04.98 को अनुक्रमांक 10223111 जप्त कर जप्ती पत्रक प्र0पी-1 बनाया था जिसके बी से बी भाग पर उसके हस्ताक्षर हैं। रामवरन अ०सा०९ ने कथन किया है कि दिनांक 02.04.98 को वह थाना एण्डोरी में आरक्षक के पद पर पदस्थ था उक्त दिनांक को एम.के.पटान अ०सा०८ के साथ ग्राम खनेता में गया था तब खनेता उच्चतर माध्यमिक विद्यालय में परीक्षा के दौरान 15–15 बजे जप्ती पत्रक प्र0पी–1 पर उसके हस्ताक्षर कराये थे तब स्कुल के प्राचार्य ने बताया था कि एक लडका नकल कर रहा है तब नकल करते हुए लंडके का प्रवेश पत्र जप्त किया था जप्ती पत्रक प्र0पी-1 के सी से सी भाग पर उसके हस्ताक्षर हैं। अतः साक्षी एम.के. पठान अ०सा०८ ने सोबरनसिंह से अनुक्रमांक जप्त होना बताया है। मुन्नासिंह अ०सा०१ ने भी जप्ती का समर्थन नहीं किया है और उक्त जप्ती पर गुणदोषों पर निर्णय भी दिया जा चुका है। रामवरन अ०सा०९ ने भी नकल पर जप्ती पत्रक प्र0पी-1 पर जप्ती होना बतायी है और प्रतिरूपण का कोई तथ्य नहीं बताया है। अतः जप्ती पत्रक प्र0पी-1 के कारण के संबंध में भी रामवरन ने अभियोजन मामले से भिन्न कथन किया है। निर्णय दिनांक 17.10.11 के अनुसार जप्ती प्रमाणित नहीं मानी गयी है। अतः कमलसिंह का अनुक्रमांक सोबरनसिंह से परीक्षा केन्द्र में जप्त हुआ यह तथ्य सिद्ध नहीं होता है।

आर.पी.पाटक अ०सा०११ ने कथन किया है कि वह अतिरिक्त राजकीय दस्तावेज परीक्षक के रूप में कार्यरत है और म0प्र0शासन की विधि और विधायी कार्यविभाग द्वारा अतिरिक्त राजकीय दस्तावेज परीक्षक घोषित है। थाना एण्डोरी के अप०क० 21/98 के संबंध में पुलिस अधीक्षक का पत्र प्र0पी-10 के साथ दस्तावेज परीक्षण हेत् भेजे गये थे। जिसमें एक कॉपी रोल नंबर 10223111 के संबंध में थी जिसके प्रथम पेज के प्रतिपृष्ट भाग की लिखावट को लाल घेरे से घेरकर 29 से चिन्हित किया जो प्र0पी–13 है कमलसिंह का प्रश्नपत्र को विवादित हस्ताक्षर के रूप में क्यु10 से चिन्हित किया है जो प्र0पी–14 है। विवादित लिखावट व हस्ताक्षर के मिलान के लिए सोबरनसिंह के नमूना लिखावट व हस्ताक्षर के तीन पन्ने थे जो एस-1 लगायत 10 चिन्हित किए गए जो प्र0पी-15 है और सोबरनसिंह की स्वाभाविक लिखावट की कॉपी एस-11 लगायत 54 चिन्हित की थी जो प्र0पी-16 है। उक्त दस्तावेज का गहराई से उसने परीक्षण किया था। एस-1 लगायत 54 की विवादित लिखापवट क्यू-9 और क्यू-10 लिखे गये हैं। जिस व्यक्ति का नमूना हस्ताक्षर, लिखावट हस्ताक्षर स्वाभाविक लिखावट आर-1 लगायत 🔞 लिखा है उसी व्यक्ति द्वारा विवादित लिखावट क्यू-1 लगायत 8 लिखी है। उसके द्वारा अभिमत प्र0पी-18 दिया गया है जिस पर ए से ए भाग पर उसके हस्ताक्षर हैं। उसके द्वारा दी गयी राय पत्र प्र0पी—20 के द्वारा पुलिस अधीक्षक को भेजी गयी थी। अतः इस साक्षी ने हस्तलेख विशेषज्ञ के रूप में विशेषज्ञ साक्ष्य जो संपृष्टिकारक साक्ष्य की श्रेणी में आती है, दी है। परन्तु अभियोजन का मामला प्रत्यक्ष साक्ष्य पर निर्भर है और परीक्षा केन्द्र पर ही उपस्थित शिक्षक व ब्लॉक शिक्षा अधिकारी ने कमलसिंह के स्थान पर अन्य व्यक्ति द्व ारा परीक्षा दी जाना नहीं बताया है। जप्ती पत्रक प्र0पी–3 भी सिद्ध नहीं हुआ है जिससे कि वह निष्कर्ष निकाला जा सके कि सोबरनसिंह से ही कमलसिंह के दस्तावेज जप्त हुए थे और सोबरनसिंह के संबंध में दी गयी कार्यवाही के संबंध में पूर्व में ग्णदोषों पर निराकरण हो चुका है। दस्तावेज प्र0पी–16 जो हस्तलेख विशेषज्ञ के अनुसार एस–11 लगायत एस–54 चिन्हित हुआ है उक्त दस्तावेज सतीश द्वारा निष्पादित दस्तावेज है यह भी जप्ती पत्रक प्र0पी-6 का समर्थन न होने से सिद्ध नहीं हुआ है और डी०एल० धनेले अ०सा०६ ने सतीश की कॉपी जप्त होने का कथन नहीं किया है। अतः जिस दस्तावेज से हस्तलेख विशेषज्ञ द्वारा पहचान कर साक्ष्य दी गयी है उक्त दस्तावेज सतीश द्वारा लिखा गया है यह भी सिद्ध नहीं होता है। अतः प्रत्यक्ष साक्ष्य के अभाव में भी परिस्थितिजन्य साक्ष्य से कमलिसंह के संबंध में पूर्व निर्णय के आलोक में कोई तथ्य प्रमाणित नहीं होते हैं। अतः अभियोजन अपना मामला युक्तियुक्त संदेह के परे सिद्ध करने में असफल रहता है और यह सिद्ध नहीं होता है कि आरोपी कमलिसंह ने दिनांक 02.04.1998 को 09:00 बजे शासकीय हाईस्कूल खनेता में सहअभियुक्त सोबरनिसंह पुत्र रामचरनिसंह को रोल नंबर कमांक 10223111 पर अपने स्थान पर माध्यमिक शिक्षा मण्डल म0प्र0 भोपाल द्वारा कराई जा रही हाईस्कूल परीक्षा वर्ष 1998 में सम्मिलित कर प्रतिरूपण द्वारा छल कारित किया विकल्प में उक्त हाईस्कूल परीक्षा में छल द्वारा फरियादी पर्यवेक्षक एवं खण्ड शिक्षा अधिकारी को प्रवंचित कर बेईमानी से उत्प्रेरित किया कि वह धारा 30 में परिभाषित मूल्यवान प्रतिभूति के रूप में आरोपी की ओर से सहअभियुक्त सोबरनिसंह को परीक्षा में सम्मिलित होने का विधिक अधिकार सृजित करे और परीक्षा में सम्मिलित होने की मूल्यवान प्रतिभूति उत्तरपुस्तिका रचे एवं सोबरनिसंह को उक्त परीक्षा में सम्मिलित कराकर उक्त मान्यता प्राप्त परीक्षा में अनुचित साधन का उपयोग किया।

परिणामतः आरोपी कमलसिंह को धारा 419, 420 भा.द.स. एवं धारा 3—डी म0प्र0 मान्यता प्राप्त परीक्षा अधिनियम 1937 के आरोपित आरोप से दोषमुक्त घोषित किया जाता है।

14 🧨 अारोपी के जमानत व मुचलके भारमुक्त किए जाते हैं।

दिनांक :-

सही / —
(गोपेश गर्ग)
न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी
गोहद जिला भिण्ड मं०प्र०